अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटॉंड़(विद्यासागर)

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–146/2022

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3

—:आदेश:—

21.07.2023 अभिलेख उपस्थापित।

यह संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–146/2022 राजस्व उपनिरीक्षक हल्का–01–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटॉंड (विद्यासागर) के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–01 ने प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटॉंड (विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल करमाटॉंड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–कुरूवा, थाना सं0–83, खाता सं0–60/8 दाग सं0–1140 रकवा–3.20 एकड़ भूमि जमाबंदीधारी मो0 इकबाल अंसारी, मो0 मकबुल अंसारी, मो0 बेलाल अंसारी पिता–उमर अली अंसारी ग्राम–कुरूवा, पो0–कुरूवा, थाना–करमाटॉंड़, जिला–जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0–60/8 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष–1983–84 से 2009–10 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने से तथा भूमि का किस्म पुरातन पतित होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध मानते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की कारवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया गया है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी/उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

वादी स्वंय मो0 मकबुल अंसारी तथा मो0 बेलाल अंसारी एवं पुत्र मो0 अशफाक अंसारी पिता–मो0 इकबाल अंसारी ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के Settlment Case No-181/1979-80 के सत्यापित प्रति समर्पित किया है। उनका कहना है कि वे लोग उक्त भूमि के 2.00 एकड़ क्षेत्रफल पर जोत–कोड़–खेती करते आ रहे हैं तथा सरकार को भू–राजस्व लगान जमा करते आ रहे हैं।

समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, तो पाया कि अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा बंदोबस्ती वाद सं0–181/79–80 में दिनांक–07.10.1998 को पारित आदेश अनुसार मात्र 2.00 एकड़ भूमि पर ही बंदोबस्ती किया गया है। (सुलहनामा के अनुसार) तदोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की माँग राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0–1/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटॉंड (विद्यासागर) से की गई।

राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन,करमाटॉंड(विद्यासागर) ने संयुक्त प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा–कुरूवा, न0.–83 अन्तर्गत अनावादी खाता सं0–60 दाग सं0–1140 रकवा–2.00 एकड़ किस्म–पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। जाँचोपरान्त पाया कि उक्त भूमि पर 1.मु0 मकबुल अंसारी 2.मो0 बेलाल अंसारी दोनो पिता–स्व0 उमर अली अंसारी 3.असफाक अंसारी 4.सफाकत अंसारी 5.वजीर अंसारी तीनों पिता–स्व0 इकवाल अंसारी सभी साकीन कुरुवा, के द्वारा भूमि का खंडित कर खेत एवं बाड़ी के रूप में दखल–कब्जा है।

उपलब्ध कागजात तथा मापी–सह–दखल संबंधी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमावंदी सं0–60/8 दाग सं0–1140 संशोधित रकवा–2.00 एकड़ भूमि को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को भेजें।

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.18 13:20:22 +05:30
Location: 192.168.1.2

21.07.23

अंचल अधिकारी,
करमाटॉंड़(विद्यासागर),
जामताड़ा।